प्रेस को सूचना (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 113/2026)
तत्काल प्रकाशन हेतु
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)

भादूविप्रा ने यूटिलिटीस, कूरियर एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा सेवा एवं लेनदेन संबंधी कॉल के लिए 1601-श्रृंखला के चरणबद्ध कार्यान्वयन की शुरुआत की।

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2026: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने आज बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा (BFSI) क्षेत्र तथा सरकारी संस्थाओं, जिन्हे 1600 श्रंखला पहले से मिली हुई है, के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा लेनदेन एवं सेवा संबंधी कॉल के लिए, 1601 श्रृंखला के नंबरों के उपयोग संबंधी निर्देश जारी किया है। BFSI क्षेत्र तथा सरकार की संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले संचार की महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए यह अलग श्रृंखला जारी की गई है ताकि महत्वपूर्ण वित्तीय वॉयस कॉल अन्य क्षेत्रों की सेवा एवं लेनदेन संबंधी कॉल के साथ मिश्रित न हो।

BFSI क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा 1600 श्रृंखला के नंबरों को व्यापक रूप से अपनाए जाने से विश्वसनीय नंबरिंग ढांचे को अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित करने हेतु मूल्यवान अनुभव प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर **TRAI ने अब DoT द्वारा आवंटित 1601 श्रृंखला का चरणबद्ध कार्यान्वयन आरंभ किया है,** ताकि अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा समान रूप से सेवा एवं लेनदेन संबंधी कॉल की जा सकें। हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि इस श्रृंखला को लागू किया जाए, जिसमें **यूटिलिटीस, कूरियर एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों की संस्थाएं चरण-I के अंतर्गत** शामिल होंगी।

1601 श्रृंखला के नंबर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) द्वारा उचित सत्यापन के बाद सीधे पात्र संस्थाओं को आवंटित किए जाएंगे, न कि बिचौलियों या एग्रीगेटरों को। अतः इनका उपयोग वैध व्यवसायों का झूठा प्रतिनिधित्व करने वाले धोखेबाजों, जो कि सामान्य 10-अंकीय नंबरों का प्रयोग करते हैं, द्वारा किए जाने वाले प्रतिरूपण से निपटने का एक महत्वपूर्ण कदम होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, यह विशिष्ट नंबरिंग पहचान उपभोक्ताओं को वैध सेवा एवं लेनदेन संबंधी कॉल को सुगमता से पहचानने में सक्षम बनाएगी, जिससे ऐसे वॉयस-आधारित संचार में विश्वास सुदृढ़ होगा।

निर्देश के मुख्य प्रावधान

क. चरण-I क्षेत्र: 1601 श्रृंखला प्रारंभ में निम्नलिखित क्षेत्रों की पात्र संस्थाओं को आवंटित की जाएगी:

i. **यूटिलिटीस (Utilities)** – विद्युत वितरण कंपनियां, जल उपयोगिताएं, शहर गैस वितरण कंपनियां, एलपीजी वितरण संस्थाएं तथा ऐसे अन्य उपयोगिता सेवा प्रदाता।

ii. **लॉजिस्टिक्स एवं कूरियर सेवाएं** – कूरियर कंपनियां, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स कंपनियां, पार्सल डिलीवरी सेवा प्रदाता, तथा माल की डिलीवरी में संलग्न फ्रेट एवं लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता।

ख. समय-सीमा में ऑनबोर्डिंग

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) को आदेश जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर चरण-I के अंतर्गत शामिल पात्र संस्थाओं का माइग्रेशन एवं ऑनबोर्डिंग पूर्ण करने के लिए कहा गया है।

ग. सत्यापन एवं अनन्य उपयोग

TSPs, 1601 श्रृंखला के नंबर आवंटित करने से पहले संस्थाओं की पात्रता का सत्यापन करेंगे, तथा इन नंबरों के सेवा एवं लेनदेन संबंधी वॉयस कॉल हेतु अनन्य उपयोग के संबंध में उनसे वचन-पत्र प्राप्त करेंगे। इन नंबरों का उपयोग किसी भी संस्था द्वारा प्रचारात्मक वॉयस कॉल के लिए नहीं किया जाएगा।

हरिन्द्र 10/08/2026

(हरिन्द्र कुमार)
सचिव, TRAI